

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक सी-स्कीम, जयपुर।

टेलीफैक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:-dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/18/ 4960

दिनांक :- 18/1/2018

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव,
पर्यावरण विभाग
राजस्थान सरकार।

विषय :- प्लास्टिक जब्ती से संबंधित सूचना के क्रम में।

विषयान्तर्गत लेख है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की निष्पादन लेखा परीक्षा हेतु प्लास्टिक कैंरी बैग्स जब्त करने के संबंध में सूचना उपलब्ध कराने बाबत निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव पर्यावरण विभाग राजस्थान सरकार द्वारा पत्र प्राप्त हुआ। निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग द्वारा पत्र क्रमांक एफ 55 ()Engg./CE/DLB/17/28085 Dated 29-11-2017 द्वारा समस्त नगरीय निकायो से प्लास्टिक जब्ती की मात्रा के संबंध में ब्योरा मांगा गया।

दिनांक 11.01.2018 तक केवल 18 नगरीय निकायो से सूचनाये प्राप्त हुई हैं। जिनका कि विवरण तालिकानुसार निम्न प्रकार है:-

क्र.स.	नगरीय निकाय	प्लास्टिक जब्ती की मात्रा (KG में)
		554
1.	पदमपुर	389.200
2.	बांदीकुई	620
3.	दौसा	1065.15
4.	सांचोर	1082
5.	बारा	272.50
6.	शाहपुरा	8.54
7.	हनुमानगढ	56
8.	बिलाडा	113.695
9.	कपासन	93.10
10.	जोबनेर	437
11.	भादरा	16535
12.	जोधपुर	525.15
13.	सागरिया	1155.735
14.	निम्बहेडा	801
15.	जालोर	445.09
16.	तख्तगढ	135
17.	पिपाडशहर	620
18.	दौसा	24531.645
	योग	

अन्य नगरीय निकायो से सूचना पुनः प्राप्त करने हेतु संबंधित पत्र संलग्न है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक :- 18/1/2018

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/16/ 4961-968

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. संयुक्त सचिव, मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।

C:\Users\user\Downloads\Hindi Letter .docx

कार्यालय प्रधानमहालेखाकार (सा.एवं सा. क्षेत्र लेखापरीक्षा) राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-ईसीपीए-III/नि.ल.प.अप.प्र./दलसं.02/सं. /टी.आर. सं. 29 दिनांक :- 4.10.17

श्रीमान निदेशक एवं उपशासन सचिव,
पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार
शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर ।

[Handwritten signature]
29/10/17
[Handwritten initials]

विषय :- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु प्लास्टिक कैंरी बैग्स जप्त करने के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध कराने का अभाव ।

महोदय,


उपरोक्त विषय के क्रम में लेख है कि भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में सम्मिलित करने हेतु "ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन" विषय पर लेखापरीक्षा की जा रही है जिसके लिये जप्त की गई प्लास्टिक कैंरी बैग के सम्बन्ध में वांछित सूचनायें निम्न प्रपत्र में उपलब्ध कराने का श्रम करें :-

क्र. सं.	कुल जप्त की गई प्लास्टिक/पॉलीथीन की मात्रा जिलेवार वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक	न्यायालय में दर्ज कराये गये प्रकरणों की संख्या	बंद ईकाईयों की संख्या	पेनल्टी के रूप में वसूल की गई राशि
1.	2.	3.	4.	5.

उक्त सम्बन्ध में उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय शासन सचिवालय, जयपुर के अ.शा. टीप क्रमांक एफ. (1)/Env./99/pt/5676 (1165) दिनांक 26.12.2012 के द्वारा चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में आपने अपने पत्रांक : अ.शा. टीप संख्या -48(1)/पर्या./99 पार्ट -1 जयपुर दिनांक 5.2.2013 के द्वारा भिजवाई गयी थी।

प्लास्टिक कैंरी बैग के सम्बन्ध में उक्त सारणी भरकर प्रपत्र में वांछित सूचनाने भरकर उपलब्ध कराने के लिये ज्ञापन संख्या /टी.आर. 14 दिनांक 26.7.2017 एवं टी.आर. 18 दिनांक 10.8.2017 को जारी किया गया था । जिसका प्रत्युत्तर प्राप्ति का अभाव रहा है ।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक समयबद्ध कार्यक्रम है अतः प्राथमिकता के आधार पर अतिशीघ्र प्रत्युत्तर प्रेषित करावें ।



[Handwritten signature]
वरि.लेखापरीक्षा अधिकारी
अप.प्रबन्धन समीक्षा दल सं. 2